रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31, 2015/माघ 11, 1936
No. 216] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 2015 /MAGHA 11, 1936

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

का. आ. 294(अ).–दांडिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 25 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1968(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व संपादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, श्री विष्णु वर्धन रेड्डी, श्री के. सुरेन्द्र तथा श्री एन. हरिनाथ, अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा प्रवर्तित मामलों को, विचारण न्यायालयों में और अपीलों, संशोधनों अथवा अन्य मामलों, जो आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के भूभाग में विधि द्वारा स्थापित संशोधनीय अथवा अपीलीय न्यायालयों में ऐसे मामलों से उद्भूत हुए हों, को संचालित करने के लिए विशेष लोक-अभियोजकों के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

S.O. 294(E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1968(E), dated the 25th August, 2011, except as regards things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Shri Vishnu Vardhan Reddy, Shri K. Surender and Shri N. Harinath, Advocates as Special Public Prosecutors for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of such cases in revisional or appellate courts established by law in the Territory of the States of Andhra Pradesh and Telangana.

[F. No. 11034/30/2009-IS.VI (IV)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

558 GI/29015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.